न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1180/2026

(CNR No. UPET010040762026)

संदीप कुमार उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र सुनहरी लाल, निवासी नगला वेरी, थाना बागवाला, जिला एटा। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–41/2026
धारा–191(2),191(3),333,115(2),
109,352,351(3),74 बी०एन०एस०
एवं **4/25 आयुध अधिनियम**
थाना–बागवाला, जिला एटा।

24.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **संदीप कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**41/2026** अन्तर्गत धारा–**191(2),191(3),333,115(2),109,352,351(3),74 बी०एन०एस०** एवं **4/25 आयुध अधिनियम,** थाना **बागवाला**, जिला **एटा** के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.03.2026 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि को संदीप, कुलदीप, सुनहरीलाल, सोमवीर, महेश व दो अज्ञात व्यक्ति वादिनी मोनी के घर आये और घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने को कहा, जिस पर वादिनी ने घर का दरवाजा खोला तो उपरोक्त सभी लोग अपने हाथों में लिए धारदार हथियारों के साथ जबरन घर में घुस आये, जिसमें संदीप के हाथ में कुढरका, कुलदीप के हाथ में चाकू, सुनहरी लाल के हाथ में दराती, सोमवीर के हाथ में चाकू व महेश के हाथ में फर्सा व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के हाथ में लाठी डन्डे थे और आते ही वादिनी के सीने पर धक्का मारकर उसके साथ बदसलूकी व दुर्व्यवहार करने लगे। वादिनी ने इस बात का विरोध किया और चीखी चिल्लाई, जिस पर कुलदीप ने अपने हाथ में लिए चाकू से वादिनी पर प्रहार किया, जिससे उसके बायें हाथ की बाजू में गम्भीर चोट आयी और वह जोर से शोर मचाने लगी। तभी वादिनी के पति अनुज व घर के ऊपर के कमरे से मनोज, विपलेश उर्फ खलीफा व रवेद्र, वादिनी को बचाने आये तो सभी मुल्जिमानों ने मिलकर अपने हाथों में लिए धार दार हथियारों से जान से मारने की नीयत से इन सभी के ऊपर कई प्रहार

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.06.24 12:50:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये, जिससे उपरोक्त लोगों के शरीर पर काफी गम्भीर चोटें आर्थी। तभी सभी चुटैलो के शोर शरावे पर उपरोक्त शीलादेवी पत्नी रामप्रकाश, पप्पू पुत्र रामअवतार व अन्य गांव के लोग मौके पर आ गये, जिन्होने यह घटना घर की जल रही लाइट की रोशनी में देखी व मुल्जिमानों को पहचाना। सभी मुल्जिमान इन सभी व्यक्तियों को मौजूद देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। वादिनी व गांव के अन्य लोग सभी चुटैलों को लेकर थाने गये तो थाने से मजरूवी चिट्ठी देकर पुलिस द्वारा इन सभी लोगों को एटा अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया, परन्तु सभी की हालत अत्यन्त गम्भीर होने के कारण इलाज हेतु एटा अस्पताल से एसएन मेडीकल कालेज व अस्पताल आगरा में भी डाक्टरों द्वारा हालत अत्यन्त गम्भीर देखते हुए सभी चुटेल लोगों को माँ भगवती हास्पीटल आगरा में इलाज कराने हेतु कहा गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे परिवारीज रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। कथित घटना के संदर्भ में आवेदक के पक्ष की ओर से पत्नी रीता देवी ने मु०अ०सं० 96/26 न्यायालय के आदेश से अन्तर्गत धारा 191(2),115(2), 351(3),352,333,76,303(2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया। उक्त घटना में आवेदक को विपक्षीगणों द्वारा अत्यन्त एवं गम्भीर व प्राणघातक चोटें पहुंचायी गयी हैं, जिनका इलाज सरकारी मेडीकल कालेज एटा में तत्पश्चात प्लास्टिक सर्जरी के लिये हॉयर सेण्टर एस०एन० मेडीकल कालेज, आगरा भेजा गया, जहां उसका इलाज हुआ है। उसके अलावा पिता सुनहरी लाल तथा ताऊ महेश घायल हुये। वादी पक्ष की ओर से दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी व वादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 बी०एन०एस०एस० में बुनियादी व विरोधाभाषी कथन है, बयानों में बाद में आभूषण चोरी करने, छेड़खानी करने जैसी मनगढन्त बातें जोड़ी गयीं। आवेदक के पास से, जो कुल्हाड़ी की कथित बरामदगी दर्शायी गयी है, वो पूर्ण रूपेण फर्जी एंव मनगढ़न्त है क्योंकि कथित बरामदगी के समय पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कानूनी प्राविधानों को जानबूझकर उपेक्षा की गयी है और कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति इस फर्जी बरामदगी का गवाह नहीं बनाया गया। इस मुकद्दमें के मुख्य सह आरोपी एवं भाई सोमवीर की नियमित जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। चूंकि आवेदक का मामला भी सह अभियुक्त सोमवीर के समान स्तर का है, इस कारण समानता के आधार पर वह भी जमानत पाने का पूर्ण अधिकारी है। आवेदक आपस में सगे परिवारी हैं एवं बंटवारे का विवाद है तथा उसका अन्य कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियक्त, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से हथियारो से लैस होकर वादिनी के घर में घुस गये और वादिनी सहित अन्य परिवारीजन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिससे उनके गंभीर चोटें आयी है। मामला गंभीर प्रकृति का है। सभी मुल्जिमान का एकसमान रोल है। सहअभियुक्तगण सोमवीर एवं कुलदीप के जमानत

प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय से निरस्त किये जा चुके हैं। मामला गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिनी के अधिवक्ता के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से घातक हथियारो से लैस होकर वादिनी के घर में घुसकर वादिनी सहित अन्य परिवारीजन पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का अभियोग है, जिससे उनके गंभीर चोटें आयी है।

चुटैल विपलेश कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके कुल 16 चोटें आना अंकित है, जो गंभीर प्रकृति की होना एवं धारदार व सख्त वस्तु से आना अंकित है। चुटैल अनुज कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके कुल 9 चोटें आना अंकित है, जो गंभीर प्रकृति की होना एवं धारदार हथियार से आना अंकित है। चुटैल मनोज कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके कुल 7 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या 02, 03 व 04 गंभीर प्रकृति की एवं धारदार हथियार से आना अंकित है। चुटैल मोनी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके कुल 8 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या 02 गंभीर प्रकृति की होना एवं धारदार व सख्त हथियार से आना अंकित है।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त भी घटना में सक्रिय रूप से सम्मिलित था, जिसके विरुद्ध विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण सोमवीर एवं कुलदीप के जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय से क्रमशः दिनांक 16.04.2026 व 22.04.2026 को निरस्त किये जा चुके है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **संदीप कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**41/2026** अन्तर्गत धारा–**191(2),191(3),333,115(2),109,352,351(3),74 बी०एन०एस०** एवं **4/25 आयुध अधिनियम,** थाना **बागवाला**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 24.06.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।